न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 08/2020(2020/00101)

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. जिलेसिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां प्रार्थी
श्री उम्मेद मोठसरा अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 28/09/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 46/45 के मु0न0 90 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, मुरब्बा नम्बर 91 के किला न0 9 ता 20, मुरब्बा न0 92 के किला न0 6, 14, 15 कुल किता 27 की कुल 6.266 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी नत्थूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी जिलेसिंह के नाम चक 4 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा न0 90 के किला न0 21 ता 23, मुरब्बा न0 91 के किला नम्बर 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21 ता 25, मुरब्बा न0 92 के किला न0 16, 17, 24, 25, मुरब्बा न0 95 के किला न0 1 ता 8, मुरब्बा न0 96 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12 कुल किता 33 की कुल 6.271 हैक्टेयर नहरी मय खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी नत्थूराम की ढाणी चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 91 के किला न0 18 में उत्तरी तरफ स्थित है। इसके दक्षिणी ओर अप्रार्थी जिलेसिंह की ढाणी बनी हुई है। चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 95 के किला न0 8 में से भादरा से सरदारगढ़िया सड़क गुजरती है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी में चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 91 के किला न0 18/1, 23 तथा मुरब्बा न0 95 के किला न0 3 व 8 में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हुए उक्त किला में प[illegible] आवागमन करता आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु [illegible] कोई रास्ता स्वीकृत अथवा चालू नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] जाकर अप्रार्थी को ज[illegible] नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ)

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी नत्थुराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा के बयान करवाये गये जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 46/45 प्रदर्श 1, नजरी नक्शा चक 4 एमएसआर मुरब्बा न0 91 व 95 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 4 एमएसआर सम्वत 2071—74 खाता संख्या 34/32 प्रदर्श 3, वाहमी राजीनामा रास्ता व खाला बाबत प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों सगे भाई है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते के बदले अप्रार्थी को अपनी खातेदारी चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 91 के किला न0 10, 11 व 20 में पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ते के बदले में भूमि दे रखी हैं। परन्तु उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिसे प्रार्थी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है एवं अप्रार्थी ने इस रास्ता के संबंध में अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की सभी मदें स्वीकार की है एवं प्रार्थी को अपनी खातेदारी में रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए सहमति दी है। इसके अलावा दोनों भाईयों में वाहमी राजीनामा उपरोक्त किला में रास्ता के बदले भूमि लेकर अप्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपनी खातेदारी में से रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी चक 4 एमएसआर में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी की चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 91 के किला न0 18/1, 23 व मुरब्बा न0 95 के किला न0 3 व 8 में पश्चिम तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर आवागमन के लिए 8—1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें व उक्त रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में ही रास्ता की एवज में प्रार्थी की चक 4 एमएसआर के मुरब्बा न0 91 के किला न0 10, 11, 20 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण में प्रार्थी की भूमि में से अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज की जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:28 IST
Reason: SelfAttested